भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2933

जिसका उत्तर दिनांक 11.03.2020 को दिया जाना है

परमाणु सामग्री से सुरक्षा

2933. श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा परमाणु सामग्री और सुविधाओं से भौतिक सुरक्षा हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा ऐसे मामलों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कनाडा परमाणु सुरक्षा आयोग ने भारत में परमाणु विनियामक संरचना को मजबूत बनाने के संबंध में भारतीय परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड में सुधार करने का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त सुधारों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा अभी तक उक्त सुझावों का कितना अनुपालन किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने देश की सभी नाभिकीय सुविधाओं द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु नाभिकीय सामग्री और सुविधाओं के प्रत्यक्ष संरक्षण पर विस्तृत आवश्यकताओं से संबंधित मार्गदर्शी दस्तावेज जारी किए हैं । एईआरबी द्वारा नाभिकीय सुविधाओं के विभिन्न चरणों के लिए क्लिअरेन्स देने से पहले इन पहलुओं की समीक्षा की जाती हैं और इन आवश्यकताओं के अनुपालन के मॉनीटरन के लिए बहुस्तरीय समीक्षाओं एवं आवधिक नियामक निरीक्षणों के माध्यम से सुस्थापित प्रकिया भी बनाई गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर लागू नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) तथा (च) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर लागू नहीं ।

* * * * *